



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 18 मई, 2021

बैशाख 28, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या यू०ओ० 49/छ:-पु०-9-21-167जी-09न्याय-2
लखनऊ, 18 मई, 2021

अधिसूचना

प०आ०-119

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 49 सन् 1988) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (2) एवं (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा अधिसूचना संख्या यू०ओ० 34/छ:-पु०-9-14-167जी-09-न्याय-2, दिनांक 29 मई, 2014 एवं अधिसूचना संख्या यू०ओ० 20/छ:-पु०-9-15-167जी-09-न्याय-2, दिनांक 15 मई, 2015 में आंशिक संशोधन करके और अधिसूचना संख्या यू०ओ० 63(ए)/छ:-पु०-9-20-167जी-09-न्याय-2, दिनांक 9 अप्रैल, 2021 का अधिक्रमण करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीशों के स्तम्भ-3 में यथा उल्लिखित विशेष न्यायालयों, भ्रष्टाचार निरोध, सी०बी०आई०, गाजियाबाद के लिए नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा उल्लिखित क्षेत्रीय अधिकारिता का पुनर्निर्धारण करती हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम	अधिकारिता क्षेत्र (जिले)
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी०बी०आई०, गाजियाबाद	गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, रामपुर एवं मैनपुरी और एन०आर०एच०एम० सम्बन्धी समस्त लम्बित मामले और साथ ही साथ ऐसे मामले जो उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण राज्य के लिए भविष्य में दायर किये जा सकते हैं, के निस्तारण हेतु

1	2	3	4
2	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई, न्यायालय संख्या-1, गाजियाबाद	गाजियाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, हाथरस, हापुड़ और सम्भल
3	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई, न्यायालय संख्या-2, गाजियाबाद	सहारनपुर, अमरोहा (जे0पी0नगर), एटा, बुलन्दशहर, मथुरा और कासगंज
4	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद	विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोध, सी0बी0आई, न्यायालय संख्या-3, गाजियाबाद	आगरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, फिरोजाबाद और शामली

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. U.O.-49/VI-P-9-21-167G-09-Nyay-2, dated May 18, 2021:

No. U.O.- 49/VI-P-9-21-167G-09-Nyay-2

Dated Lucknow, May 18, 2021

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 and sub-section (2) and (3) of section 4 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act no. 49 of 1988) hereinafter referred to as the said Act read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of notification number U.O.-34/VI-P-9-14-167G-09-Nyay-2, dated May 29, 2014 and notification number U.O.-20/VI-P-9-15-167G-09-Nyay-2, dated May 15, 2015 and in supersession of notification number U.O.-63(A)/VI-P-9-20-167G-09-Nyay-2, dated April 09, 2021, the Governor is pleased to reallocate the territorial jurisdiction as given in Column-4 of the Schedule below, to the Special Courts, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad as mentioned in Column-3 of the ADJ/Special Judges as given in Column-2 of the Schedule below.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Judge	Name of the Court	Area Jurisdiction (Districts)
1	2	3	4
1	Additional district & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Ghaziabad	Gautam Buddha Nagar, Aligarh, Rampur and Mainpuri and for disposing off all NRHM pending cases, as well as cases which may be filed in future for the entire State of Uttar Pradesh

1	2	3	4
2	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court No. 1, Ghaziabad	Ghaziabad, Moradabad, Bijnor, Hathras, Hapur and Sambhal
3	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court No. 2, Ghaziabad	Saharanpur, Amroha (J.P. Nagar), Etah, Bulandshahr, Mathura and Kasganj
4	Additional District & Session Judge, Ghaziabad	Special Court, Anti Corruption, CBI, Court No. 3, Ghaziabad	Agra, Muzaffarnagar, Baghpat, Meerut, Firozabad and Shamli

By order,
 AWANISH KUMAR AWASTHI,
Apar Mukhya Sachiv.